129
26/3/21

संख्याः– 123 /XXXVI-A-1/2021-208/2020

प्रेषक,

आर0के0 श्रीवास्तव,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण,
निकट आई0टी0आई0 निरंजनपुर,
सहारनपुर रोड़, देहरादून।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 26 मार्च, 2021

विषय– उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण की नैनीताल खण्डपीठ में सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रिक्त एक पद पर आबद्धता हेतु आवेदन पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–112/XXXVI-A-12021-208/2020 दिनांक 10.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, लोक सेवा अधिकरण, नैनीताल खण्डपीठ की आबद्धता समाप्त की गयी है।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के उक्त रिक्त एक पद पर आबद्धता हेतु अधिकरण के माध्यम से अधिवक्ताओं के आवेदन पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण की नैनीताल खण्डपीठ में सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रिक्त एक पद पर आबद्धता हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं, जिन्हें विधि व्यवसाय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, के आवेदन पत्र, शैक्षिक एवं व्यवसायिक प्रमाण पत्रों तथा गत तीन वर्ष के आयकर प्रमाण पत्र सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्याः– ——— /XXXVI-A-1/2021-208/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. सदस्य (प्रशा0), उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ नैनीताल, निकट हेड पोस्ट ऑफिस के सामने, मल्लीताल, जिला नैनीताल।
3. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल/सचिव, जिला बार एसोसिएशन, जिला नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया लोक सेवा अधिकरण, नैनीताल खण्डपीठ में सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रिक्त पद पर आबद्धता हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं के आवेदन लोक सेवा अधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

(आर0के0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण देहरादन

नोटिस

दिनांक २८|३|२१

उत्तराखण्ड शासन न्याय अनुभाग–1 ने पत्र सं0 123/XXXVI-A-1/2021-208/2020 देहरादून दिनांक 26 मार्च, 2021 के माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण की नैनीताल खण्डपीठ में सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रिक्त एक पद पर आबद्धता हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं, जिन्हें व्यवसाय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, वे आवेदन पत्र, शैक्षिक एवं व्यवसायिक प्रमाण पत्रों तथा गत तीन वर्ष के आयकर प्रमाण पत्र सहित आवेदन उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण को प्राप्त करायें ताकि उन्हें शासन को प्रेषित किया जा सकें।

Shweta Lang
संयुक्त निबन्धक
उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण
देहरादून